न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, पाली संभाग, पाली
पीठासीन अधिकारी :– श्री हरफूल सिंह यादव,आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :–288/2024
जी.सी.एम.एस नंबर :– 2024/288

अपीलाण्ट :–

उजी देवी पुत्री हिम्मताजी पत्नी प्रेमाराम जी, उम्र 40 वर्ष, जाति माली, निवासी पावटी बेरा, लेटा बी, लेटा जालोर तहसील व जिला जालोर (राज.)

बनाम

रेस्पोडेन्ट :–

1. सरपंच ग्राम पंचायत लेटा तहसील व जिला जालोर (राज.)
2. वंशीलाल पुत्र हिम्मताजी, जाति माली बेरा खारचिया जालोर लेटा बी, तहसील व जिला जालोर
3. मोहनलाल पुत्र हिम्मता जी, जाति माली उम्र बालिग, निवासी बेरा खारचिया जालोर लेटा बी, तहसील व जिला जालोर (राज.)
4. श्रीमती पकली पत्नी हिम्मता जी, जाति माली उम्र बालिग, निवासी बेरा खारचिया जालोर लेटा बी, तहसील व जिला जालोर (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय/आदेश दिनांक 06.05.2024 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जालोर ने नामांतरकरण अपील संख्या 8/2022, जी.सी.एम.एस.ऑनलाईन आई.डी. नम्बर 2022/264 उजी देवी बनाम रेस्पोडेंटस सरपंच ग्राम पंचायत लेटा व अन्य में पारित

उपस्थिति
1. श्री अशोक अरोडा, विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट।
2. श्री राजेन्द्रसिह राजपुरोहित विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट।

:: निर्णय ::

दिनांकः– 30/9/24

1. पत्रावली में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपील अन्तर्गत धारा 76 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार, जसवंतपुरा प्र.स. 1/2018 निर्णय दिनांक 25.06.2019 व न्यायालय जिला कलेक्टर, जालोर के प्रकरण संख्या 21/2019 निर्णय दि. 16.09.2019 से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।
2. यह अपील दर्ज रजिस्टर की गई तथा रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन से तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट बावजुद सम्मन तामिल के न्यायालय में उपस्थित नही हुए।
3. बहस अपील अपीलाण्ट की सुनी गई।
4. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने बहस के दौरान अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विद्वान न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

30/9/24
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अभिकथन कर निवेदन किया कि –

रेस्पोडेंट संख्या 01 द्वारा जो म्यूटेशन क्रमांक 376 दिनांक 05.07.2001 पारित किया था वो तथ्यो एवं विधि के विरूद्ध था, एवं इनिशियो वोईड था क्योंकि खातेदार हिम्मता जी निर्वसीयत मृत्यु हुई थी और उनकी मृत्यु के समय उनके विधिक उत्तराधिकारीगण में रेस्पोडेंट संख्या 02 से 04 के अलावा उनकी जाईदा पुत्रीयो के रूप में अपीलार्थी और अन्य पुत्रीया रकमा, मंजू, अणसी, किकी, पवनी व सटी जीवित थी, इस कारण हिम्मता जी के स्वर्गवास के पश्चात जो म्यूटेशन पारित होना था उसमे रेस्पोडेंट संख्या 02 से 04 के साथ अपीलार्थी और हिम्मता जी की उपरोक्त अन्य पुत्रीयो के नाम पारित होना था जो पारित नही किया गया था और केवल मात्र रेस्पोडेंट संख्या 02 से 04 के नाम पारित किया गया, जो एव इनिशियो वोईड होने से अपास्त किये जाने योग्य था और एव इनिशियो वोईड म्यूटेशन बावत कोई परिसीमा नही है, जिसे कभी भी चुनौती दी जा सकती है उसके बावजूद भी अपीलार्थी की ओर से धारा 05 म्याद अधिनियम को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था और अपील देरीना प्रस्तुत करने का उचित और पर्याप्त कारण दर्ज किया गया था कि अपीलार्थी और रेस्पोडेंट संख्या 02 से 04 आपस में रिश्तेदार थे, रेस्पोडेंट संख्या 02 व 03 अपीलार्थी के भाई थे और रेस्पोडेंट संख्या 04 अपीलार्थी की माता थी और विवादित आराजी पुश्तैनी, सामलाति, संयुक्त परिवार की सम्पति थी और हिम्मता जी के स्वर्गवास के हिम्मता जी के सभी वारीसान और अपीलार्थी भी संयुक्त रूप से काश्त करते थे और रेस्पोडेंट संख्या 02 से 04 ने सामलाति कब्जाकाश्त से दिनांक 11.10.2022 से पूर्व कभी नही रोका टोका था, इसलिये अपीलार्थी कम पढी–लिखी होने और सगे भाईयो पर विश्वास होने और माता पर विश्वास होने के कारण ऐसा कभी कुछ सोचा ही नहीं कि रेस्पोडेंट संख्या 02 से 04 ने अकेले अपने नाम म्यूटेशन करवा दिया होगा। इन परिस्थितियो मे देरी माफ कर अपीलाधीन म्यूटेशन को निरस्त करना चाहिये था और अपील को गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये था जो नही करने मे योग्य अधिन न्यायालय ने तथ्यो एवं विधि की भूल की है।

अपीलाधिन म्यूटेशन पारित करने से पूर्व रेस्पोडेंटस ने अपीलार्थी को कोई सूचना नही दी थी, कोई सुनवाई का अवसर नही दिया था, कोई जानकारी नही दी थी, हिम्मता जी के वारीसान की कोई जांच तक नही की थी, इन परिस्थितियो मे भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के आधार पर भी जब अपीलाधिन म्यूटेशन अपीलार्थी की अनुपस्थिति में अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया था और दिनांक 17.10.2022 को अपीलाधिन म्यूटेशन की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर पहली बार अपीलाधिन म्यूटेशन की जानकारी होने पर दिनांक 17.10.2022 को ही अपील प्रस्तुत कर दी गयी थी, उन परिस्थितियो में अपील प्रस्तुत करने मे जो विलम्ब हुआ था उसके उचित व पर्याप्त कारण थे और उन परिस्थितियो मे अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को माफ करना चाहिये था और अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 05 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र करना चाहिये था और अपील को गुणावगुण पर सुनवाई कर अपीलार्थी के पक्ष में निर्णित करना चाहिये था और अपीलाधिन म्यूटेशन अपास्त करना चाहिये था और हिम्मता जी की मृत्यु के पश्चात म्यूटेशन रेस्पोडेंट संख्या 02 से 04 के साथ अपीलार्थी और हिम्मताजी की अन्य पुत्रीयो के नाम पारित करने का आदेश पारित करना चाहिये था जो नही कर योग्य अधिन न्यायालय ने तथ्यो एवं विधि की भूल की है।

विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि पर्याप्त न्याय को आगे बढाने के लिये धारा 05 म्याद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते समय विवेक का प्रयोग किया जाना चाहिये जो योग्य अधिन न्यायालय ने नही किया।

योग्य अधिन न्यायालय के समक्ष स्पष्ट स्थिति थी, कि अपीलार्थी ने पूरी लगन से काम किया था और रेस्पोडेंट संख्या 02 व 03 द्वारा दिनांक 11.10.2022 को अपीलाधिन म्यूटेशन बावत तथ्य प्रकट करते ही दिनांक 12.10.2022 को अपीलार्थी ने जमाबंदी और अपीलाधिन म्यूटेशन की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने की कार्यवाही की और दिनांक 17.10.2022 को प्रमाणित प्रति प्राप्त होते ही दिनांक 17.10.2022 को ही अपीलार्थी ने अपील प्रस्तुत कर दी थी, इन परिस्थितियो में अपीलार्थी को निर्धारित सीमा में अपील करने से जिन कारणो

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

और परिस्थितियो ने रोका था वे योग्य अधिन न्यायालय के समक्ष थी और योग्य अधिन न्यायालय को अपीलार्थी के धारा 05 म्याद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना चाहिये था । इस संबंध में वकील अपीलाण्ट ने दृष्टांत आरआरडी 2002 पेज सं. 111, आरआरडी 1994 पेज सं. 215, आरआरडी 1994 पेज सं. 606, एडीजे 2010(3) पेज सं. 683, एआइआर एस.सी. 2023 पेज सं. 288, एआईआर एस.सी. 2001 पेज सं. 2497, आरआरडी 1989 पेज सं. 45, आरआरडी 1998 पेज सं. 465 आरआरटी 2023(2) पेज सं. 1284 पेश की है । योग्य अधिन न्यायालय ने तथ्यो एवं विधि की भूल की है।

विधि का सुस्थापित सिद्धांत है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी यह अभिनिर्धारित किया है कि "देरी के लिये स्पष्टीकरण की स्वीकार्यता ही एकमात्र मानदण्ड है और देरी की लम्बाई कतई प्रासंगिंक नहीं है विलम्बकारी रणनिति के रूप मे दुर्भावनापूर्ण या जानबूझकर देरी दिखाने वाली किसी भी चीज के अभाव में अदालत को आम तौर पर देरी को माफ कर देना चाहिये" इस प्रकरण में भी अपीलार्थी की अपील देरीना प्रस्तुत करने मे कोई विलम्बकारी रणनिति नही थी, कोई दुर्भावानापूर्ण चीज नही थी और कोई जानबूझकर के देरी करने वाली भी कोई चीज नही थी। यदि अपीलार्थी को अपीलाधिन म्यूटेशन के समय अथवा दिनांक 17.10.2022 से पूर्व अपीलाधिन म्यूटेशन की जानकारी हो जाती तो उस समय ही अपील प्रस्तुत नही करने का कोई कारण हो ही नही सकता था और सामान्य समझ से भी जानकारी के पश्चात अपील नही करने का कोई कारण नही हो सकता है और रेस्पोडेंटस का कही यह कथन नही था कि अपीलार्थी को अपीलाधिन म्यूटेशन की जानकारी अपीलाधिन म्यूटेशन पारित होने के समय अथवा दिनांक 17.10.2022 से पूर्व कभी भी हुई हो। इन परिस्थितियो मे अपीलार्थी के कथनो को नहीं मानने का कोई कारण व आधार नही था और विधि के उपरोक्त सुस्थापित सिद्धांत के तहत योग्य अधिन न्यायालय को अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ करना चाहिये था जो नही कर योग्य अधिन न्यायालय ने तथ्यो एवं विधि की भूल की है।

विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी यह अभिनिर्धारित किया है कि "यह स्वयं सिद्ध है कि देरी की माफी अदालत के विवेक का मामला है परन्तु परिसीमा अधिनियम की धारा 05 यह कही नही कहती है कि इस तरह के विवेक का प्रयोग तब ही किया जा सकता है जब देरी एक निश्चित सीमा के भीतर हो, देरी की लम्बाई कोई मायने नही रखती है, स्वीकार्यता स्पष्टीकरण ही एकमात्र मापदण्ड है' योग्य अधिन न्यायालय ने विधि के इस सुस्थापित सिद्धांत पर भी कोई गौर नही किया और इसे नही मानने का कोई कारण व आधार अपीलाधीन आदेश मे दर्ज नही किया। इस सुस्थापित सिद्धांत अनुसार योग्य अधिन न्यायालय को देरी को माफ करना चाहिये था जो नही कर योग्य अधिन न्यायालय ने तथ्यो एवं विधि की भूल की है।

विधि का यह भी सुस्थापित सिंद्धात है कि "किसी पक्ष का आचरण अगर गैर जिम्मेदारा भी है तो उसे दण्डित करने का कोई औचितय नही बनता है और किसी पक्ष के सतर्कता अपनाने में विफलता को उसे मूल्यवान सम्पति के संबंध मे मुकदमेबाजी से बाहर करने का आधार नही बनाया जाना चाहिये और मुकदमे मे शामिल सम्पति की सीमा और पक्षकारो की हिस्सेदारी को ध्यान मे रखना चाहिये" इस प्रकरण मे अपीलार्थी का आचरण किसी भी रूप मे गैर जिम्मेदारा नही था और जानकारी होते ही अपीलार्थी तुंरत सतर्क हो गयी थी और तुंरत अपीलाधिन म्यूटेशन की प्रमाणित प्रति प्राप्त होते ही अपील प्रस्तुत कर दी थी। इन परिस्थितियो मे भी योग्य अधिन न्यायालय को अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ करना चाहिये थे जो नही कर योग्य अधिन न्यायालय ने तथ्यो एंव विधि की भूल की है।

विधि का सुस्थापित सिद्धांत है और माननीय हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट ने भी यह अभिनिर्धारित किया है कि देरी माफी एक नियम है और "देरी माफी से इंकार करना एक अपवाद है, परिसीमा के नियम पक्षकारो के अधिकार नष्ट करने के लिये नही है, अदालत का प्राथमिक कार्य पक्षो के बीच विवाद का अंतिम निपटारा करना है और पर्याप्त न्याय को आगे बढाना है" योग्य अधिन न्यायालय ने विधि के इस सुस्थापित सिद्धांत को भी नहीं माना और

30/9/24

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

इस प्रकरण में ऐसी कोई अपवादित परिस्थितियां नही थी कि देरी माफी के सामान्य नियम को नही माना जावे।

विधि का सुस्थापित सिद्धांत है और माननीय हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट ने भी समय–समय पर देरी माफी के पर्याप्त कारण को परिभाषित किया है, अभिनिर्धारित किया है और संक्षिप्त रूप से यही बताया है कि पर्याप्त कारण अर्थात "जिसके लिये किसी पक्ष को दोषी नही ठहराया जा सकता" इस प्रकरण मे भी उपर दर्ज अनुसार अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का पर्याप्त कारण था और अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के लिये अपीलार्थी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता था इन परिस्थितियो मे अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ करना चाहिये था जो योग्य अधिन न्यायालय ने नही कर तथ्यो एवं विधि की भूल की है इस कारण अपीलाधिन आदेश और अपीलाधिन म्यूटेशन अपास्त किये जाने योग्य है।

योग्य अधिन न्यायालय ने अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम को अस्वीकार करने और अपीलार्थी की अपील म्याद के बिन्दू पर खारिज करने का एक आधार यह बनाया कि अपीलार्थी ने विलम्ब के कारण के समर्थन मे कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की। यह आधार बनाने मे योग्य अधिन न्यायालय ने तथ्यो एवं विधि की भूल की है, योग्य अधिन न्यायालय के समक्ष स्पष्ट स्थिति थी कि अपीलाधिन म्यूटेशन अपीलार्थी की अनुपस्थिति में पारित हुआ था, अपीलार्थी की जानकारी के बिना पारित हुआ था, अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित हुआ था और हिम्मताजी के वारिसान की विधि अनुसान जॉच किये बिना पारित हुआ था उन परिस्थितियो मे उपर दर्ज अनुसार दिनांक 11.10.2022 को रेस्पोडेंट संख्या 02 व 03 द्वारा प्रथम बार अपीलाधिन म्यूटेशन के तथ्यो को प्रकट करने पर दिनांक 12.10.2022 को अपीलाधिन म्यूटेशन की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने की कार्यवाही की गई और दिनांक 17.10.2022 को प्रमाणित प्रति प्राप्त होते ही दिनांक 17.10.2022 को अपील प्रस्तुत कर दी, उन परिस्थितियो मे विलम्ब के कारण के समर्थन मे और कोई दस्तावेज हो ही नही सकता था उसके बावजूद विलम्ब के कारण के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही करने को आधार बनाकर अपीलाधिन आदेश पारित किया है जो तथ्यो एवं विधि के विरूद्ध है।

योग्य अधिन न्यायालय ने अपीलाधिन आदेश पारित करने का एक आधार यह बनाया कि "अपीलांट को अपीलाधिन म्यूटेशन की समय–समय पर जानकारी रही है जिसे इस अपील में छुपाने का प्रयास किया गया है जो कि न्याय की मंशा के विपरित प्रतित होता है", यह आधार भी पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो के विरूद्ध बनाया गया है, रेस्पोडेंटस स्वयं का भी यह कही कथन नही था कि अपीलार्थी को अपीलाधिन म्यूटेशन की समय–समय पर जानकारी रही हो और उसने इसे छिपाने का प्रयास किया है जो न्याय की मंशा के विपरित है और पत्रावली पर ऐसी कोई दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य नही थी जिससे यह सावित होता हो कि अपीलार्थी को अपीलाधिन म्यूटेशन की प्रमाणित प्रति दिनांक 17.10.2022 को प्राप्त होने से पूर्व कभी भी अपीलाधिन म्यूटेशन की जानकारी समय–समय पर रही हो और उसने इस तथ्यो को छुपाने का प्रयास किया हो। इस प्रकार जो तथ्य और कथन रेस्पोडेंटस के भी नही थे और पत्रावली पर भी इस संबंध में कोई दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य नही थी उसके बावजूद बिना किसी कारण व आधार के यह गलत आधार बनाकर कि अपीलांट को अपीलाधिन म्यूटेशन की समय–समय पर जानकारी रही है और उसने इसे इस अपील मे छुपाने का प्रयास किया है, दर्ज कर अपीलाधिन आदेश पारित कर दिया जो तथ्यो एवं विधि के विरूद्ध है।

योग्य अधिन न्यायालय ने अपीलाधिन निर्णय पारित करने का एक कारण व आधार यह बनाया है कि "विलम्ब का कारण स्पष्ट नही होने एवं विलम्ब के साक्ष्य में उचित दस्तावेज प्रस्तुत नही किये जाने से करीब 25 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत अपील के सलंग्न धारा 05 म्याद अधिनियम के बिन्दू को सावित नही किया गया है" यह आधार बनाने मे भी योग्य अधिन

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

न्यायालय ने तथ्यो एवं विधि की भूल की है। उपर दर्ज अनुसार विलम्ब का स्पष्ट कारण था और विलम्ब का कोई दस्तावेज हो नही सकता था और उपर उल्लेखित अनुसार देरी की लम्बाई कोई मायने नही रखती है, उचित कारण अपने आप मे पर्याप्त होता है और देरी माफी एक नियम है और इंकार एक अपवाद है। इन परिस्थितियो मे गलत आधार बनाकर अपीलाधिन निर्णय पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है।

योग्य अधिन न्यायालय ने अपीलाधिन निर्णय पारित करने का एक कारण व आधार यह बनाया कि "परिसीमा अधिनियम के सिद्धांत उदार तरिके से काम मे लिये जाने चाहिये परन्तु इसका मतलब यह नही होता है कि कोई पक्षकार अपने अधिकारो के प्रति जागरूक रहकर मुकदमे को सजगता से लडे और दूसरे व्यक्ति के हक में पैदा हुए अधिकार का हनन करने का मौका सिर्फ इस आधार पर दिया जाये कि उसे ज्ञान नही था, साम्यता दोनो पक्षकारो के तय करना जरूरी होता है" यह आधार बनाने मे भी योग्य अधिन न्यायालय ने तथ्यो एवं विधि की भूल की है, जब योग्य अधिन न्यायालय स्वयं का यह मानना था कि परिसीमा अधिनियम के सिद्धांत उदर तरिके से काम मे लिये जाने चाहिये और सुस्थापित सिद्धांत है कि देरी माफी एक नियम है और इंकार एक अपवाद तो उदार तरिका अपनाना चाहिये था। इस प्रकरण मे रेस्पोडेंट संख्या 02 से 04 द्वारा कोई जागरूक रहकर के कोई मुकदमा नही लडा गया था बल्कि अपनी बहनो के हक को खाने की नियत से एब इनिशियो वोईड म्यूटेशन अपने और अपनी माता के पक्ष मे पारित करवाया गया था और इस एब इनिशियो वोईड म्यूटेशन से रेस्पोडेंट संख्या 02 से 04 के हक में कोई अधिकार पैदा ही नही हुये थे क्योंकि अपीलार्थी व अपीलार्थी की अन्य बहनो का इस जमीन मे जन्म से ही हक अधिकार था, इन परिस्थितियो मे रेस्पोडेंट संख्या 02 से 04 के पक्ष में कोई अधिकार पैदा हुए ही नही तो उनका हनन होने जैसी कोई स्थिति ही नही थी और साम्यता सामान्य समझ से इसी तरह से तय होनी थी कि जब वादग्रस्त भूमि में अपीलार्थी का और उसकी बहनो का हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम अनुसार हक, हिस्सा, अधिकार है। इस संबध में वकील अपीलाण्ट ने दृष्टांत आरआरडी 1996 पेज सं. 79, आरआरडी 2006 पेज सं. 20, आरआरडी 2006 पेज सं. 837, आरआरडी 2007 पेज सं. 672 पेश किये है। वह उन्हे म्यूटेशन के जरिये ही मिलना चाहिये था, इस प्रकार गलत आधार बनाकर अपीलाधिन निर्णय पारित किया गया है जो अपास्त किये जाने योग्य है।

योग्य अधिन न्यायालय ने अपीलाधिन निर्णय पारित करने का एक आधार अपने निर्णय में दर्ज एक न्यायिक दृष्टांत को बनाया है उक्त न्यायिक दृष्टांत के तथ्य और हस्तगत अपील के तथ्य एक दूसरे से भिन्न थे और विधि का सुस्थापित सिंद्धात है कि प्रस्तुत किया गया न्यायिक दृष्टांत के तथ्य और हस्तगत प्रकरण के तथ्य जब तक एक समान नही होते है तब तक वह न्यायिक दृष्टांत उस प्रकरण पर लागू ही नही होता है। इस सुस्थापित सिद्धांत पर भी योग्य अधिन न्यायलय ने कोई गौर नही किया और अपीलाधिन निर्णय पारित कर दिया जो अपास्त किये जाने योग्य है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जावे। अपीलाधीन निर्णय / आदेश अपास्त किया जावें। सरपंच ग्राम पंचायत लेटा तहसील व जिला जालोर द्वारा पारित म्यूटेशन संख्या 3760 दिनांक 05.07.2001 को निरस्त फरमाया जावे और हिम्मता जी के वारीसान रेस्पोडेंट संख्या 02 से 04 व अपीलार्थी और हिम्मता जी की पुत्रीया रकमा, मंजू, अणसी, किकी, पवनी व सटी के नाम म्यूटेशन पारित करने के आदेश पारित फरमावे । प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अन्य कोई आदेश पारित किया जाना उचित हो तो अपीलार्थी के पक्ष में पारित फरमावे।

रेस्पोडेण्ट के अधिवक्ता ने अभिकथन कर निवेदन किया कि –

अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट्स के विरुद्ध 21 वर्ष म्यान बाहर अपील पेश की है अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त अपील को म्याद बाहर मानकर खारिज किया उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलांट ने यह द्वितीय अपील श्रीमान् के समक्ष पेश की हैं।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

किसी भी म्युटेशन आदेश को चुनौती देने के लिए कानून में म्याद निर्धारित की गयी हैं म्यूटेशन आदेश के विरूद्ध अपील पेश करने हेतु कानून में तीस दिन की म्याद निर्धारित हैं तीस दिन के भीतर कोई पक्षकार अपील पेश नहीं कर पाता है तो कानूनन परिसीमा अधिनियम के अनुसार धारा 5 के आवेदन के साथ में अपील पेश की जा सकती हैं लेकिन धारा 5 के आवेदन में युक्तियुक्त एवं उचित कारण दर्ज होना आवश्यक है अपीलाट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपनी अपील के साथ में धारा 5 का आवेदन पेश किया लेकिन उसमें युक्तियुक्त एवं उचित कारण दर्ज नहीं किये अपीलांट ने अपने धारा 5 के आवेदन में यह दर्ज किया की अपीलांट जैर अपीलाधीन म्युटेशन की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 11.10.2022 को हुयी जब अपीलांट अपनी खातेदारी आराजी पर फसल की देखरेख करने गयी तो रेस्पोडेन्ट्स 2 व 3 विवादित आराजी पर आकर यह कहा कि तुम्हे यहां आने की क्या जरूरत हैं अब काश्त भी तुम्हे नही करने देंगे क्योंकि सम्पूर्ण आराजी हम दोनों भाईयों व माता के नाम से हैं और ज्यादा हरकतें की तो सम्पूर्ण आराजी बेच देंगे अपीलांट ने उपरोक्त कथन अपने धारा 5 के आवेदन में वर्णित किये जो कथन मिथ्या व उचित एवं युक्तियुक्त नही हैं क्योंकि अपीलांट का उपरोक्त कृषि भूमि पर कभी भी कब्जा व काश्त नही रहा हैं अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में पेश अपील के पेज संख्या 3 के पेरा संख्या 4 में वर्णित किया हैं कि हिम्मता जी की मृत्यु के समय अपीलांट बालिग व शादीसुदा थी अपीलांट हिम्मता जी मृत्यु के समय शादीसुदा थी तो वादग्रस्त कृषि भूमि पर अपीलांट का कब्जा होना कैसे संभव हैं शादी के बाद अपीलांट अपने ससुराल में निवास करती है शादी से लगाकर आज दिन तक अपने ससुराल में निवास करती हैं इस कारण से अपीलांट का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा व काश्त होना सम्भव नहीं हैं इसके अलावा अपीलांट स्वयं को हिम्मता जी की पुत्री बताती हैं अगर हिम्मता जी की पुत्री हैं तो राजस्व रेकर्ड की 21 वर्ष तक जानकरी नहीं हो यह सम्भव नही हैं अपीलांट ने अपने म्याद आवेदन में युक्तियुक्त एवं उचित कारण दर्ज नही किये।

अधीनस्थ न्यायालय के सामने म्याद बाहर अपील पेश होती हैं तो पहले म्याद के विंदू को तय करना आवश्यक होता हैं म्याद के आवेदन में उचित एवं युक्तियुक्त कारण दर्शित होते है तो मैरिट पर न्यायालय जाता, नही तो म्याद पर आदेश पारित करता है इस प्रकरण में भी युक्तियुक्त उचित कारण दर्ज नही था इस कारण अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण की वहस सुनकर प्रकरण को म्याद बाहर मानकर खारिज किया हैं जो सही है।

परिसीमा अधिनियम इसलिए हैं कि कोई व्यक्ति उचित एवं युक्तियुक्त कारण से म्याद में अपील पेश नहीं कर पाया है तो धारा 5 के आवेदन में युक्तियुक्त एवं उचित कारण दर्ज कर अपील पेश कर सकता है लेकिन उपरोक्त प्रकरण में अपीलांट ने अपने आवेदन में उचित एवं युक्तियुक्त कारण दर्ज नहीं किया है परिसीमा अधिनियम इसलिए नही है की परिवार में कोई विवाद हो जाए या नीयत में खोट आ जाने के कारण 21 वर्ष वाद अपील पेश कर दे अपीलांट ने भी नीयत में खोट आ जाने के कारण 21 वर्ष वाद म्याद वाहर अपील पेश की है जवकि जैर अपीलाधीन म्युटेशन की अपीलांट को शुरू से ही जानकारी रही हैं एवं अपने म्याद के आवेदन में भी उचित एवं युक्तियुक्त कारण दर्ज नहीं किये है जवकि कानूनन अनुसार विलम्ब के लिए पर्याप्त कारण स्पष्ट करना आवश्यक हैं अपीलांट ने विलम्ब का पर्याप्त कारण स्पष्ट नही किया है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपीलाधीन आदेश पारित किया हैं जो सही पारित किया है इस कारण अपील खारिज योग्य हैं। इस संबंध में वकील रेस्पोडेण्ट ने दृष्टांत डी.एन.जे. राजस्थान 2010 (1) पेज नम्बर 400, डी.एन.जे. राजस्थान 2012 (2) पेज नम्बर 781,डी.एन.जे. एस.सी. 2013 पेज नम्बर 273 पेश किये।

अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में जो अपील पेश की हैं उक्त अपील के साथ में एक भी ऐसा दस्तावेज पेश नही किया है जिससे यह साबित हो सके की अपीलांट हिम्मता जी की पुत्री हैं अपीलांट को सर्वप्रथम यह साबित करना आवश्यक है कि वह हिम्मता जी की पुत्री हैं लेकिन अपीलांट ने अपील में हिम्मता जी की पुत्री होने बावत् किसी प्रकार का दस्तावेज पेश नही किया हैं, न ही दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित किया है कि अपीलांट हिम्मता जी की पुत्री है इस कारण भी अपील खारिज योग्य हैं।

30/9/24

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

अपीलांट ने वादग्रस्त कृषि भूमि पर कब्जे के सम्बंध में भी कोई दस्तावेज पेश नही किया है एवं न ही दस्तावेजी साक्ष्य से कब्जा सावित किया है इस कारण भी अपील खारिज योग्य हैं। अपीलांट ने अपनी अपील मीगों में अपने अलावा रकमा, मंजू, अणसी, कीकी, पवनी व सटी को हिम्मता जी की पुत्रिया बताया है लेकिन उनको अपील में पक्षकार नहीं बनाया हैं जबकि वे अपील में आवश्यक पक्षकार हैं इस कारण पक्षकारों के अभाव में अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य हैं।

म्युटेशन की कार्यवाही सरसरी कार्यवाही है इसमें अधिकार एवं स्वत्व का निर्णय नहीं किया जा सकता है अपीलाट को अपने अधिकारों को तय करवाने के लिए सक्षम न्यायायल में वाद पेश करना होगा सक्षम न्यायालय द्वारा ही अपने अधिकार तय करवा सकती हैं इस कारण भी अपील खारिज योग्य हैं। इस संबंध में वकील रेस्पोडेण्ट ने दृष्टांत आर.आर.टी. 2003(2) पेज नम्बर 1212, आर.आर.टी. 2003(2) पेज नम्बर 1176, आर आर.टी. 2003 (2) पेज नम्बर 1046, डी.एन.जे. राजस्थान 2003 (3) पेज नम्बर 1143, आर.आर.डी. 1992 पेज नम्बर 488, आर.आर.डी. 2000 पेज नम्बर 168 पेश की ।

अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपने म्याद आवेदन में म्याद को कण्डोन करवाने के लिए कोई रिलिफ नहीं मांगी हैं इस कारण भी अधीनस्थ ने जो आदेश किया है वह उचित एवं व्यायसंगत आदेश हैं इस कारण अपील पोषणीय नही होने से खारिज योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षकारों को सुनकर अपील में वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेंजों का अवलोकन कर विधि सम्मत आदेश पारित किया है इस कारण भी अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य हैं।

5. हमने उपस्थित वकील अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्टस की बहस पर चिन्तन एवं मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का बगौर अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादग्रस्त आराजी हिम्मता पुत्र मकना की खातेदारी भूमि रही है तथा विधि अनुसार पिताजी की सम्पति में पुत्र तथा पुत्रीयों का बराबर हक हिस्सा बनता है अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व अपीलाण्ट को नही सुना गया है। प्रथम अपील अधिकारी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.05.2024 में धारा 5 साक्ष्य अधिनियम के तहत वर्ष 2001 में नामान्तरकरण दर्ज होने के उपरान्त 25 वर्ष की अवधि उपरान्त बताते हुए विलम्ब का प्रर्याप्त कारण नही बताने के आधार पर प्रस्तुत अपील को खारिज किया गया है एवं प्रकरण का गुणवगुण पर निर्णय नही किया गया है। प्रकरण में वकील अपीलाण्ट को इस संबंध में प्रस्तुत कानूनी दृष्टांत का अवलोकन किया गया । पैतृक सम्पति में अपने अधिकारो के लिए विधिक कार्यवाही करने में कोई समय सीमा कानूनी अडचन नही है। इस संबंध में कार्यालय ग्राम पंचायत लेटा द्वारा जारी वारीसदार सूची अनुसार उजी को वारिस मान सकते है। अतः प्रकरण में गुणावगुण पर सभी पक्षो को सुनकर तहसीलदार को निर्णय पारित करना आवश्यक था। इस संबंध में वकील अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 2002 पेज न. 111 में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि जो ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य नामांतरकरण स्वीकार किया गया है, वह प्रार्थी को बगैर उसे नोटिस दिये स्वीकार किया गया है, वह प्रार्थी को बगैर सुने व बगैर उसे नोटिस दिये स्वीकार किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व श्रीमती उजी देवी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी करना आवश्यक था। अतः उक्त नामान्तरकरण प्रस्तुत विनिश्चयों की रोशनी में कतई अवैध है एवं यथावत रखे जाने योग्य नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपना विचाराधीन निर्णय उपरोक्त विनिश्चयों के परिप्रेक्ष्य में पारित नही किया है एवं कानूनी विन्दुओं को नजरअंदाज किया है। ऐसी सूरत में विचाराधीन आदेश यथावत रखे जाने योग्य नही है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जालोर के प्रकरण संख्या 8/2022 निर्णय दिनांक 06.05.2024 तथा अपीलाधीन नामान्तरणकरण संख्या 376 दिनांक 5.07.2001 को यथावत रखा जाना उचित प्रतीत नही होता है।

30/9/24

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जालोर के प्रकरण संख्या 8/2022 निर्णय दिनांक 06.05.2024 तथा अपीलाधीन नामान्तरणकरण संख्या 376 दिनांक 5.07.2001 को अपास्त किया जाता है। न्यायालय तहसीलदार, जालोर को प्रकरण इन दिशा निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलाण्ट को साक्ष्य सुनवाई पर्याप्त अवसर देकर तथा विधिक वारिसान की जांच कर पुनः नामान्तरणकरण दर्ज करने की कार्यवाही करे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड इस निर्णय की प्रति के साथ माफिक निर्णय पालना करने हेतु पुनः लौटाया जावे। पत्रावली दर्ज फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

30/9/24

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 30/9/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर वाद हस्ताक्षर सरे–इजलास सुनाया गया।

30/9/24

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)